न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—346/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/346)

1. श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री गजानन्द खटीक आयु 48 वर्ष निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. अनिल पुत्र श्री भंवर लाल ब्राहमण आयु बालिग निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
2. ग्रीष्म पुत्री स्व0 श्री सत्यनारायण आयु बालिग निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
3. चांदनी पुत्री स्व0 श्री सत्यनारायण आयु बालिग निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
4. दिनेश चन्द पुत्र श्री भंवर लाल ब्राहमण आयु बालिग निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
5. मोहन लाल पुत्र श्री किशन लाल ब्राहमण आयु बालिग निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
6. श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री सत्यनारायण आयु बालिग निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
7. वन्दना पुत्री श्री सत्यनारायण आयु बालिग निवासी ग्राम रलावता तहसील किशगनढ जिला अजमेर।
8. विकास पुत्र श्री सत्यनारायण आयु बालिग निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
9. तहसीलदार, किशनगढ

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 राजस्व वाद संख्या 59/2024

उपस्थितः—

1. श्री छीतरमल टेपण अभिभाषक अपीलांट
2. श्री इन्द्रेश के0 रामचंदानी व रूपक शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 9
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 8 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 02.01.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 59/2024 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2024 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 59/2024 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 से 8 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को आधार बनाकर अस्वीकार करने की गंभीर भूल की है। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अपीलांट/प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर प्रभावी नहीं है। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार अपीलांट/प्रार्थीया की खसरा नम्बर 742/5 की भूमि पर आने जाने का एक मात्र रास्ता उत्तर दिशा की ओर खसरा नम्बर 744 व 746 की भूमि में से दर्शित किया है उस आधार पर अपीलांट/प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र योग्य अधीनस्थ न्यायालय को स्वीकार करना चाहिए। तहसीलदार किशनगढ़ (रेस्पोडेन्ट संख्या 9) की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार अपीलान्ट/प्रार्थिया के पास वादग्रस्त ABCD रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने का अंकन होने के बाद भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करके गंभीर त्रुटि की है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.12.2024 निरस्त किए जाने योग्य है। तहसीलदार किशनगढ़ (रेस्पोडेन्ट संख्या 9) की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार अपीलान्ट/प्रार्थिया को वादग्रस्त ABCD रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है जिस पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है अपीलान्ट प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 12 में यह अंकन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 ने एकराय होकर वादग्रस्त ABCD कदीमी कच्चे रास्ते को दिनांक 13.5.2024 को पत्थर के पिल्लर लगाकर एंव लोहे की तारबन्दी करके बन्द किया है जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट/प्रार्थिया ने मौके की फोटो भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिस पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं देकर न्याय की गंभीर भूल की है इस आधार पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.12.2024 निरस्तनीय है। तहसीलदार किशनगढ़ (रेस्पोडेन्ट संख्या 9) की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार अपीलान्ट/प्रार्थिया को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 744 व 746 की

भूमि में से दिलाया जा सकता है जो अपीलान्ट/प्रार्थिया के विवादित ABCD रास्ते को प्रमाणित करता है तहसीलदार किशनगढ़ की उक्त स्पष्ट रिपोर्ट के बाद भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करके न्याय की महत्वपूर्ण भूल की है इस आधार पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.12.2024 निरस्तनीय है। तहसीलदार किशनगढ़ (रेस्पोडेन्ट संख्या 9) की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार अपीलान्ट प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित ABCD विवादित रास्ते की प्रथम दृष्ट्या पुष्टि होने के बाद भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करके विधि की गंभीर भूल की है। इस आधार पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.12.2024 निरस्त किए जाने योग्य है। तहसीलदार किशनगढ़ (रेस्पोडेन्ट संख्या 9) की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार अपीलान्ट प्रार्थिया खसरा नम्बर 744 व 746 की भूमि में अवस्थित वादग्रस्त ABCD रास्ते की भूमि की राशि 1,04,076/—रूपये अदा करने हेतु तत्पर है और अपीलान्ट प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 10 व अनुतोष के पैरा संख्या 16 (2) में भी इस तथ्य का कथन अंकित किया है। फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करके न्याय की गंभीर त्रुटि की है। जिससे न्याय का हनन हुआ है। इस आधार पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.12.2024 निरस्त किए जाने योग्य है। तहसीलदार किशनगढ़ (रेस्पोडेन्ट संख्या 9) की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार अपीलान्ट प्रार्थिया के पास प्रस्तावित विवादित ABCD रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नही है। जिस पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है एक काश्तकार को अपनी खातेदारी की भूमि पर आने जाने व फसल काश्त करने हेतु धारा 251 में रास्ता उपलब्ध कराने का स्पष्ट प्रावधान दिया गया है जिसे योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णतया नजर अन्दाज किया है। अपीलान्ट/प्रार्थिया विवादित रास्ते की भूमि की निर्धारित राशि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 को अदा करने हेतु तत्पर है। तथा खसरा नम्बर 744 की रास्ते की भूमि की राशि राजकोष में जमा कराने हेतु तैयार है फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2024 को खारिज कर दिया है जो विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 ने अपीलान्ट/प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र के जबाब की प्रारम्भिक आपत्ति के पेरा संख्या 1 में जिस रास्ते का उल्लेख किया है वह तहसीलदार किशनगढ़ (रेस्पोडेन्ट संख्या 9) की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 अनुसार मौके पर अवस्थित ही नहीं है। तहसीलदार किशनगढ़ ने विवादित ABCD रास्ते को ही दिया जाना प्रस्तावित किया है। इस आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 की उक्त आपत्ति अस्वीकार किए जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गंभीरता पूर्वक कोई विचार ही नहीं किया है इस महत्वपूर्ण आधार पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16. 12.2024 निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 59/2024 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट

द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि न्यायालय में गलत आधारों पर स्वयं की खसरा संख्या 742/5 रकबा 1.4077 हैक्टेयर भूमि के उत्तर दिशा की पाल खसरा सं 744 जो पश्चिम से पूर्व जाकर गैर मुमकिन रास्ते पक्की सडक खसरे संख्या 745 व 739 से मिलती है। उक्त रास्ता प्रार्थियां के पास आवागमन हेतु सतत् निरन्तर निर्बाध रूप से उपलब्ध हैं। When applicant has already way then this application is not maintainable यही कारण है कि उपरोक्त प्रार्थियां ने न्यायालय के समक्ष स्वयं की तथाकथित खसरा संख्या 742/5 से लगती हुयी समस्त भूमि की वास्तविक स्थिति का प्रकटीकरण नहीं किया है एवं ना ही पूर्ण मानचित्र प्रस्तुत किया है। खसरा संख्या 744 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग की हेतु ग्राम पंचायत रलावता के मिलकियत अधिकार की है एवं खसरा संख्या 744 गैर नुमकिन पाल के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 747/1 भी है। यदि बिन्दू संख्या 01 को तनिक मात्र के लिये नजर अन्दाज भी किया जाता है। तो खसरा संख्या 744 के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 747/1 की भूमि है एवं खसरा संख्या 747/1 के उत्तर दिशा में उपरोक्त रिकार्डेड रास्ता खसरा संख्या 745 व 739 है। जों लघुतम एवं निकटतम रास्ता (shortest and nearest) है। यह तथ्य प्रथम दृष्टया ही सरसरे रूप से उपरोक्त राजस्व ट्रेस की स्थिति से दृष्टिगत किया जा सकता है। यह पहलू प्रथम दृष्टया ही नक्शें ट्रेस की स्थिति से दृष्टिगत किया जाता है। यद्यपि प्रार्थियां के पास खसरा संख्या 744 से खुला रिकार्डेड आवगमन के लियें रास्ता उपलब्ध है। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थियां की भूमि एवं उससे अनुसलग्न उत्तर दिशा की खसरा संख्या 744 गैर मुमकिन पाल एवं पाल से लगती हुयी खसरा संख्या 745 एवं 739 के रास्तें की भूमि को नक्शें में उसे हाईलाईटर पेन के पीलें रंग स्याही से प्रदर्शित किया गया है। जों प्रथम दृष्टया ही सारी स्थिति को स्पष्ट करता है। यह नक्शा इस जवाब का एक अंग है। उपरोक्त प्रार्थियां का प्रार्थना पत्र दुर्भावयुक्त आश्य से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है एवं आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से भी ग्रसीत है। उपलब्ध रास्तें के रहतें हुये कारण विहीन है। खसरा सख्या 742/5 का रकबा 1.4077 हैक्टेयर होना एवं उपरोक्त भूमि के एकाकी खातेदार प्रार्थियां होना स्वयं प्रमाणित साक्ष्य से साबित करें। यह अस्वीकार है कि प्रार्थियां ने वाद के साथ कोई प्रमाणित नक्शे में चिन्ह अंकित कर नजरी नक्शा प्रस्तुत किया हों। प्रार्थिया ने दुर्भावयुक्त आशय से खसरा संख्या 744 एवं 746 का पूर्ण मानचित्र प्रस्तुत किया है एवं जो नजरी नक्शा बनाया है। उसका ना तो पैमाना आधार है, ना ही किसी वास्तुविद से प्रमाणित है। उक्त नजरी नक्शे में प्रार्थियां ने दुर्भावयुक्त आशय से खसरा संख्या 747/1 के उत्तर दिशा एवं 746 के उत्तर दिशा की भुजा पूर्ण समानान्तर कोण में राजस्व ट्रेस के प्रतिकूल होकर दुर्भावयुक्त आशय से गलत दर्शायी हैं। खसरा संख्या 742/5 के उत्तर दिशा में खसरा सख्या 744 गैर मुमकिन पाल होना स्वीकार हैं एवं गैर मुमकिन पाल के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 747/1 तथा 746, 745 भी होना स्वीकार है। उपरोक्त गैर मुमकिन पाल खसरा संख्या 744 जो पश्चिम से पूर्व की और से काफी लम्बी है तथा उपरोक्त पाल खसरा संख्या 744 के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 745 व 739 रिकार्ड गैर मु. रास्ता

भी है। जिसके बाबत् उपरोक्त अप्रार्थी उत्तरकर्ता ने नक्शे में हाईलाईटर से पीले रंग से चिन्हित किया गया है एवं भूमि धारी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में भी खसरा संख्या 744 गैर मुमकिन पाल के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 745 व 739 रास्तें से उक्त भूमि लगी होना भी स्पष्टतः प्रकट व चिन्हित किया है। प्रार्थियां ने जानबूझकर न्यायालय के समक्ष गलत एवं अपूर्ण कथन करने के साथ साथ खसरा संख्या 744 गैर मुमकिन पाल की सम्पूर्ण स्थिति का उल्लेख प्रकटीकरण नहीं किया है। खसरा संख्या 744 गै मु. पाल रिकार्ड गैर मु.रास्ते 745 व 739 से लगवा एवं सटी हुयी है। खसरा संख्या 746 से लगा हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग (National highway) हो उपरोक्त खसरा संख्या 744 गैर मु.पाल के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 745 एवं 739 सिवायचक खाता संख्या 01 में गैर0 मु0 रास्ता अवस्थित है एवं इसी प्रकार अप्रार्थी उत्तरकर्ता के भूमि खसरा संख्या 746 के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 747/1 की भूमि है एवं खसरा संख्या 747 के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 739 गैर0 मु0 रास्ता है यदि खसरा संख्या 747/1 की उत्तर भुजा से प्रार्थिया की खसरा संख्या 742/5 की उत्तर भुजा की दूरी नापी जाती है तो वह लघुत्तम निकटतम रास्ता First glance of eyes होना प्रकट होता है यद्यपि उपरोक्त प्रार्थियां के पास खसरा संख्या 744 से रास्ता लगवा होने से एवं खसरा संख्या 744 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग की भूमि होने से उक्त प्रार्थियां की भूमि खसरा संख्या 742/5 रास्ते से ही लगवा है। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त प्रचलित रास्ता उपलब्ध है तों नवीन रास्तें की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्णत कारण विहीन है। प्रार्थियां स्वयं की खसरा संख्या 742/5 के आवागमन हेतु खसरा संख्या 739, 745 गैर मु.रास्ते से प्रवेश कर खसरा संख्या 744 सार्वजनिक भूमि से आकर स्वयं की खसरा संख्या 742/5 भूमि के उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। यह रास्ता अरसे दराज से प्रचलित कायम होकर वादीयां के उपयोग में लाया जाता रहा है। प्रार्थियां ने गलत रूप से नजरी नक्शा बनाया है। जो ना तो राजस्व ट्रेस से मिलान खाता है ना ही उक्त नजरी नक्शा किसी पैमानें पर आधारित है ना ही किसी वास्तुविद से प्रमाणित है। जिसके रहतें हुये इस पैरा के कथन प्रार्थियां के वर्णितानुसार स्वीकार नहीं है। प्रार्थिया ने ना तों यह अंकित किया है कि उपरोक्त खसरा संख्या 744 गैर मु. पाल जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग की है। वह प्रार्थियां की भूमि से लगती हुयी है एवं खसरा संख्या 744 के लगता हुआ खसरा संख्या 745 व 739 का रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 16.12.2024 को

खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से अंसतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 742/5 की आराजीयात में से आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नम्बर 746 व गै0मु0 पाल खसरा नम्बर 744 में से रास्ता दिए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया।

तहसीलदार द्वारा प्रकरण में दिनांक 19.11.2024 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि प्रार्थी को अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 742/5 में आने जाने हेतु वर्तमान में कोई रास्ता उपलबध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिए निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 744, 746 में से दिया जा सकता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलबध नहीं है, तहसीलदार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया।

तहसीलदार द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट में मौके का भली भांति निरीक्षण कर व अपनी मौका रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व दिया गया मार्ग लघुत्तम का उल्लेख करते हुए बनाई गई है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलांट के पास अपनी आराजीयात में जाने के लिए मौके पर वैकल्पिक मार्ग का अभाव है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस आधार पर मौका रिपोर्ट के विपरीत जाकर प्रकरण में निर्णय पारित कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

वर्तमान में अपीलांट के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध कराने की है। बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित बिंदुओं का बिना विधिक परीक्षण किए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने में त्रुटि कारित की है। **" चूंकि रास्ता सुखाधिकार की श्रेणी में आता है। अगर गैर मु0 पाल के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हो तो गै0मु0 पाल के स्वरूप में व किस्म में कोई बदलाव नहीं करते हुए गै0मु0 पाल को सुखाधिकार के तहत लघुत्तम रूप से रास्ते के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन गै0 मु0 पाल की किस्म व स्वरूप बदलकर रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता है। "**

रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 17.01.2025 को प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसके तहत रेस्पोडेंट द्वारा कथन किया गया कि खसरा नम्बर 744 किस्म गै0मु0 पाल की भूमि पक्की सडक खसरा संख्या 739 रास्ते से संलग्न है तथा उपरोक्त गै0मु0 पाल ही पंचायत के खाते में दर्ज है एवं खसरा संख्या 739 रास्ते की होकर उस पर पक्की सडक बनी हुई है तथा सरकारी खाते संख्या 01 में दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अपीलांट के पास रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध है। खसरा संख्या 744 की भूमि पक्के रोड जो लगभग 50 से 60 फीट चौडा है से अनुसंलग्न है एवं खसरा संख्या 744 भी ग्राम पंचायत की दर्ज भूमि है, तो उपरोक्त प्रार्थी के पास

वैकल्पिक चालू रास्ता उपलब्ध है। परंतु न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित है। इसलिए वर्तमान प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किए जाने से रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 59/2024 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए विधिवत परीक्षण कर पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.02.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 02.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर